"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 587] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—— कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–100/18/2014 (1).—— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पालिका बलौदाबाजार**, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		10	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		11	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	7	राजीव गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	शहीद सुशील कुमार मसीह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	संजय गांधी वार्ड
		18	डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
		19	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	गुरूनानक देव वार्ड
		9	गुरू घासीदास वार्ड
7.	महिला वर्ग	5	वीर शिवाजी वार्ड
		12	शहीद भगत सिंह वार्ड
		13	सुभाष चंद्रबोस वार्ड
		21	गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–100/18/2014 (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–100/18/2014 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-100/18/2014 (1).— The list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Balodabazar, Distt. Balodabazar-Bhatapara** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	1	Swami Vivekanad Ward
		10	Lal Bahadur Shastri Ward
		11	Chandrashekhar Azad Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	7	Rajeev Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Shaheed Sushil Kumar Masih Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	4	Sanjay Gandhi Ward

		18	Dr. Rammanohar Lohiya Ward
		19	Rani Laxmibai Ward
6.	Other Backward Class (Female)	8	Gurunanak Dev Ward
		9	Guru Ghasidas Ward
7.	Female	5	Veer Shivaji Ward
		12	Shaheed Bhagat Singh Ward
		13	Subhash Chandra Bose Ward
		21	Gurudev Ravindra Nath Tagore Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–100/18/2014 (2).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पालिका भाटापारा, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	6	शक्ति वार्ड
		17	महासती वार्ड
		25	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		29	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	16	भगत सिंह वार्ड
		21	संत रविदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	18	संत माता कर्मा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	24	शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	सदर वार्ड

		15	नया गंज वार्ड
		19	बलभद्र वार्ड
		22	रामसागर वार्ड
		31	शहीद हेमू कल्याणी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		7	नयापारा वार्ड
		14	नेहरू वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	हथनीपारा वार्ड
		8	परसू राम वार्ड
		11	शंकर वार्ड
		30	संत कंवर राम वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–100/18/2014 (2).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–100/18/2014 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No F 1-100/18/2014 (2).— The list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Bhatapara, Distt. Balodabazar-Bhatapara** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	6	Shakti Ward
		17	Mahasati Ward
		25	Lal Bahadur Shastri Ward
		29	Pt. Deendayal Upadhyay Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	16	Bhagat Singh Ward
		21	Sant Ravidas Ward
3.	Scheduled Tribes	18	Sant Mata Karma Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	24	Shaheed Veernarayan Singh Ward
5.	Other Backward Class	12	Sadar Ward
		15	Naya Ganj Ward
		19	Balbhadra Ward
		22	Ramsagar Ward
		31	Shaheed Hemu Kalyani Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Shyama Prasad Mukherjee Ward
		7	Nayapara Ward
		14	Nehru Ward
7.	Female	2	Hathnipara Ward
		8	Parsuram Ward
		11	Shankar Ward
		30	Sant Kanwar Ram Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–100/18/2014 (3).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत सिमगा, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	10	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	–	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	महावीर वार्ड
		4	इंदिरा गांधी वार्ड
		5	शंकर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	9	मिनीमाता वार्ड
7.	महिला वर्ग	8	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		11	रविशंकर शुक्ल वार्ड
		13	कंकालीन पारा वार्ड
		14	इमाम बाड़ा वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–100/18/2014 (3).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–100/18/2014 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-100/18/2014/ (3).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Simga, Distt. Balodabazar-Bhatapara** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	10	Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	2	Mahaveer Ward
		4	Indira Gandhi Ward
		5	Shankar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	9	Minimata Ward
7.	Female	8	Swami Vivekanand Ward
		11	Ravishankar Shukla Ward
		13	Kankalin Para Ward
		14	Imam Bada Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–100/18/2014 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत पलारी, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	7	गुरूः घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	10	डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	13	रानी दुर्गावती वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	—	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	शीतला माता वार्ड
		8	रानी सागर वार्ड
		9	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		4	महामाया वार्ड
		5	महात्मा गांधी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–100/18/2014 (4).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–100/18/2014 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-100/18/2014 (4).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Palari, Distt. Balodabazar-Bhatapara** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	7	Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	10	Dr. Rammanohar Lohiya Ward
3.	Scheduled Tribes	13	Rani Durgawati Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	6	Sheetla Mata Ward
		8	Rani Sagar Ward
		9	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Chandrashekhar Azad Ward
7.	Female	1	Swami Vivekanand Ward
		4	Mahamaya Ward
		5	Mahatma Gandhi Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–100/18/2014 (5).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत लवन, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	3	गुरु घासीदास वार्ड
		6	महात्मा गांधी वार्ड
		14	मनीष तिवारी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	2	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
		15	अम्बेडकर वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग	—	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	—	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	8	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		11	चण्डी देवी वार्ड
		12	पं. रविशंकर शुक्ला वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	रविदास वार्ड
7.	महिला वर्ग	5	सदर वार्ड
		13	स्वामी विवेकानंद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–100/18/2014 (5).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–100/18/2014 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-100/18/2014 (5).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Lawan, Distt. Balodabazar-Bhatapara** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	3	Guru Ghasidas Ward
		6	Mahatma Gandhi Ward
		14	Manish Tiwari Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	2	Pt. Deendayal Upadhyay Ward
		15	Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	8	Shyama Prasad Mukherjee Ward
		11	Chandi Devi Ward
		12	Pt. Ravishankar Shukla Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Ravidas Ward
7.	Female	5	Sadar Ward
		13	Swami Vivekanand Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–100/18/2014 (6).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत कसडोल, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	1	विद्या नगर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	5	पारस नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	गुरू घासीदास वार्ड
		4	चन्द्रशेखर वार्ड
		15	मां बगदेवी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	2	इंदिरा कालोनी वार्ड
7.	महिला वर्ग	8	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		11	डॉ. कन्हैया लाल शर्मा वार्ड
		14	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–100/18/2014 (6).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–100/18/2014 (6) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-100/18/2014 (6).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Kasdol, Distt. Balodabazar-Bhatapara** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	13	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	1	Vidya Nagar Ward
3.	Scheduled Tribes	5	Paras Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	3	Guru Ghasidas Ward
		4	Chandrashekhar Ward
		15	Maa Bagdevi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	2	Indira Colony Ward
7.	Female	8	Swami Vivekanand Ward
		11	Dr. Kanhaiya Lal Sharma Ward
		14	Rani Laxmi Bai Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–100/18/2014 (7).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत टुण्डरा, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	6	अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	8	सफूरा माता वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	–	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	मां शारदा वार्ड
		5	मां दुर्गा वार्ड
		14	अटल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	13	संत कबीर वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	मां चण्डी देवी वार्ड
		3	वीर नारायण सिंह वार्ड
		7	ठाकुर देव वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–100/18/2014 (7).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–100/18/2014 (7) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-100/18/2014 (7).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Tundra, Distt. Balodabazar-Bhatapara** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	6	Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	8	Safura Mata Ward
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	2	Maa Sharda Ward
		5	Maa Durga Ward
		14	Atal Ward
6.	Other Backward Class (Female)	13	Sant Kabir Ward
7.	Female	1	Maa Chandi Devi Ward
		3	Veer Narayan Singh Ward
		7	Thakur Dev Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–100/18/2014 (8).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत बिलाईगढ़, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	10	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	8	शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		4	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		14	पोठा दी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	महात्मा गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	इंदिर गांधी वार्ड
		9	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		12	राजीव गांधी वार्ड
		15	समलाई माता वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–100/18/2014 (8).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–100/18/2014 (8) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-100/18/2014 (8).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Bilaigarh, Distt. Balodabazar-Bhatapara** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	10	Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	8	Shaheed Veernarayan Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	3	Dr. Shyama Prasad Mukherjee Ward
		4	Swami Vivekanand Ward
		14	Potha Di Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Mahatma Gandhi Ward
7.	Female	7	Indira Gandhi Ward
		9	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		12	Rajeev Gandhi Ward
		15	Samlai Mata Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–100/18/2014 (9).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए.के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत भटगांव, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	3	महामाया वार्ड
		14	गुरू घासीदास वार्ड
		15	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	12	महाराणा प्रताप वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	9	वीर शिवाजी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	गोपाल देव वार्ड
		8	वीर नारायण सिंह वार्ड
		11	इंदिरा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	सिविल लाईन वार्ड
		2	महात्मा गांधी वार्ड
		6	शीतला वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–100/18/2014 (9).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–100/18/2014 (9) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-100/18/2014 (9).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Bhatgaon, Distt. Balodabazar-Bhatapara** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	3	Mahamaya Ward
		14	Guru Ghasidas Ward
		15	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	12	Maharana Pratap Ward
3.	Scheduled Tribes	9	Veer Shivaji Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	5	Gopal Dev Ward
		8	Veer Narayan Singh Ward
		11	Indira Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	4	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
7.	Female	1	Civil Line Ward
		2	Mahatma Gandhi Ward
		6	Sheetla Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.